विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 434 दिनांक : 5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,
माया देवी इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस एज्यूकेशन,
ग्राम–नागूखेडी,उज्जैन रोड़,देवास।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/139,दिनांक 21.06.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 05.12.2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.10.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,मायादेवी इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एज्यूकेशन,नागुखेड़ी,देवास में सत्र 2017–18,से बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.एड.पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर प्रदान की जाती है।''

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 435 दिनांक : 5/2/18

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षां विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी,कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उपरोक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)